इकाई 13 शासन प्रणालियों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 वर्गीकरण की समस्याएँ

13.3 प्राचीन युग में वर्गीकरण

13.3.1 अरस्तू का वर्गीकरण

13.3.2 अरस्तू के वर्गीकरण का विस्तार

13.4 आधुनिक वर्गीकरण

13.5 समकालीन वर्गीकरण

13.6 शक्ति-विभाजन के आधार पर वर्गीकरण

13.6.1 एकात्मक सरकार

13.6.2 संघात्मक सरकार

13.7 विधायी-कार्यपालिका संबंधों के आधार पर वर्गीकरण

13.7.1 संसदीय सरकार

13.7.2 अध्यक्षात्मक सरकार

13.8 सारांश

13.9 शब्दावली

13.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई में ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिवेश में राज्यों और सरकारों के वर्गीकरण की विधियों का अध्ययन किया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण की विभिन्न रीतियों/विधियों की पहचान कर सकेंगे;
- राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण के समय-समय पर अपनाए गए आधारों और सिद्धान्तों का वर्णन कर सकेंगे;
- राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण की किसी सार्वभौमिक विधि अपनाने की समस्याओं की पहचान कर सकेंगे;
- वर्गीकरण के बदलते प्रतिमानों का वर्णन कर सकेंगे; तथा
- विभिन्न, लोकतान्त्रिक सरकारों की व्याख्या कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

राजनीतिक पद्धतियों का अध्ययन, अति प्राचीन काल से किया जाता रहा है। उनका वर्गीकरण उतना ही पुराना है जितना राजनीति का अध्ययन। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस दिशा में अनेकों प्रयास किए गए हैं। ग्रीक युग में वर्गीकरण का आधार अत्यंत सीमित था, तथा इसका मुख्य दायरा शासकों की संख्या तथा उनके शासन की गुणवत्ता तक ही सीमित था। मध्यकाल में **बोदाँ**, **माँतेस्कयू**, **रूसो**, **कांत** इत्यादि ने अरस्तू के वर्गीकरण में सुधार करने के प्रयास किए, परन्तु वे अधिक सफल न हो सके। आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के उदय के साथ वर्गीकरण की नई पद्धतियों का विकास हुआ। अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों से राजतन्त्र को गहरा धक्का लगा, तथा लोकतन्त्र का उदय हुआ। साथ ही, सरकार के विभिन्न अंगों -- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका -- के कार्यों को भी परिभाषित किया गया। अमरीकी संविधान ने संघवाद एवं शक्ति-पृथक्करण की अवधारणाओं को स्पष्ट किया, तथा **अध्यक्षात्मक सरकार** की स्थापना की। आधुनिक समय में राजनीति शास्त्रियों ने वर्गीकरण की नई रीतियाँ अपनाई, और सरकारों को सीमित राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक - गणराज्य, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक तथा संघात्मक श्रेणियों में रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सरकारों के वर्गीकरण को और भी परिष्कृत किया गया। यह उत्तर-उपनिवेश युग में अनेक संप्रभु राज्यों की स्थापना ने आवश्यक बना दिया। साथ ही अनेक साम्यवादी/समाजवादी राज्यों की स्थापना भी हुई थी। आज इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में संसार में अनेक प्रकार की शासन पद्धतियाँ हैं, परन्तु उनके वर्गीकरण का कोई एक सर्वमान्य आधार संभव नहीं है। हम सबसे पहले राजनीतिक प्रणालियों के वर्गीकरण सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का विवेचन करेंगे, और फिर समय-समय पर विभिन्न लेखकों द्वारा अपनाए गए वर्गीकरण की समीक्षा करेंगे।

13.2 वर्गीकरण की समस्याएँ

राजनीतिक प्रणालियों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि विभिन्न व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे कम महत्व के तत्वों का भेद मालूम किया जा सके। वर्गीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश अवश्य डाला जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि विविध राजनीतिक पद्धतियों में क्या सम्बन्ध है। इस संदर्भ में सामाजिक - आर्थिक संरचना का विशेष महत्व है। सरकारों के प्रकार अनेक होने के कारण अध्ययन मूल रूप से इस पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तलाश किया जा रहा है।

यह स्मरण रखना होगा कि कोई अध्ययनकर्ता किसी राजनीतिक पद्धति के किस पक्ष को अलग कर उस पर बल देना चाहता है। अतः सभी परिस्थितियों के लिए वर्गीकरण की कोई एक व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रश्न यह होगा कि किसी वर्गीकरण विशेष का उद्देश्य क्या है। यद्यपि अध्ययन के परिणाम आन्तरिक हो सकते हैं, फिर भी अच्छे वर्गीकरण का आधार सरलता होना चाहिए।

सरलता के मार्ग में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। **प्रथम,** जिस अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है उसको परिभाषित करने की समस्या। उदाहरण के लिए, अमेरिका और रूस में स्वतंत्रता के अर्थ अलग-अलग हो सकते हैं। **द्वितीय**, एक ही स्तर की राजनीतिक संस्थाएँ

विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में एक जैसे कार्य कर सकती हैं। अर्थात्, ब्रिटिश राजतन्त्र के कार्य लगभग वैसे ही हैं जैसे कि जर्मन राष्ट्रपति के। कहा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ अमरीकी राष्ट्रपति से भी अधिक हैं। पुनः, वर्गीकरण का उद्देश्य कभी कभी किसी व्यवस्था की प्रशंसा करना, या किसी की निंदा करना हो सकता है। सरकारों को प्रायः अपनी पसंद के आधार पर लोकतान्त्रिक या अधिनायकवादी कह दिया जाता है।

13.3 प्राचीन युग में वर्गीकरण

13.3.1 अरस्तू का वर्गीकरण

राजनीतिक प्रणालियों के वर्गीकरण की परम्परा ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यूनान (ग्रीस) में आरम्भ हुई। **अरस्तू** ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से विभिन्न संविधानों का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया, यद्यपि उससे पूर्व हेरोडोटस तथा प्लैटो ने भी सरकारों के वर्गीकरण के प्रयास किए थे। **हेरोडोटस** ने सभी राज्यों को तीन श्रेणियों - **राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र** तथा **लोकतन्त्र** - में वर्गीकृत किया था। अपनी पुस्तक ***रिपब्लिक*** *(The Republic)* में प्लैटो ने पाँच प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया। वे थेः **वैचारिकतन्त्र** (ldeocracy), **समयतन्त्र** (Timocracy), **गुटतन्त्र** (Oligarchy), **लोकतन्त्र** तथा **उत्पीडकतन्त्र** (Tyranny)। परन्तु, अरस्तू के वर्गीकरण की विशेषता यह रही कि उसने अपना परिणाम 158 संविधानों की समीक्षा पर आधारित किया। उन तत्कालीन संविधानों का अध्ययन एवं वर्गीकरण प्रायः वैज्ञानिक तथा सर्वमान्य पाया गया। अरस्तू ने, अपनी पुस्तक *(Politics)* में, संविधानों को दो मूल वर्गों में रखाः वे थे अच्छे या बुरे (सामान्य या दूषित)। इनमे से प्रत्येक प्रकार में उसने तीन प्रकार की सरकारों की पहचान की, जिनका आधार था कि सत्ता का प्रयोग कितने व्यक्ति करते थे -- एक, कुछ अथवा अनेक। इन दो आधारों, अर्थात् **गुण** (सामान्य अथवा दूषित), तथा संख्या (एक, कुछ, अनेक) के अध्ययन के फलस्वरूप अरस्तू ने **छह प्रकार** के संविधानों में वर्गीकृत किया। इनमें से तीन को अच्छे या सामान्य श्रेणी में रखा गयाः **राजतन्त्र** (एक व्यक्ति का कुशल शासन), **कुलीनतन्त्र** (कुछ व्यक्तियों का कुशल शासन) तथा **लोकतन्त्र** जिसे उसने **Polity** कहा (अनेक व्यक्तियों का अच्छा/सामान्य शासन)। साथ ही उसने तीन दूषित प्रणालियों का वर्णन भी कियाः **उत्पीड़कतन्त्र** (Tyranny) (एक व्यक्ति का दूषित शासन); **गुटतन्त्र** (Oligarchy) (कुछ व्यक्तियों का दूषित शासन); तथा **भीड़तन्त्र**, जिसे उसने **democracy** कहा (अनेक वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

अरस्तू का वर्गीकरण

शासकों की संख्या	सामान्य प्रकार	दूषित प्रकार
एक	राजतन्त्र	उत्पीड़कतन्त्र
कुछ	कुलीनतन्त्र	गुटतन्त्र
अनेक	लोकतन्त्र (Polity)	भीड़तन्त्र (Democracy)

अरस्तू के अनुसार, राजतन्त्र एक दयालु राजा का निस्वार्थ शासन होता है जो नैतिकता के मूल्यों पर आधारित होता है। उसका दूषित रूप उत्पीड़कतन्त्र है जिसमें शासक बल प्रयोग,

धोखा और स्वार्थ का सहारा लेता है। कुलीनतन्त्र को कुछ लोगों के श्रेष्ठ वर्ग का शासन कहा जिसमें नैतिकता और सम्पत्ति का मेल होता है, जबकि उसके दूषित रूप गुटतन्त्र में स्वार्थ और धन का लोभ हावी होता है। अंत में, अनेक लोगों के नैतिक और सामरिक मूल्यों पर आधारित, मध्य वर्ग के, शासन की पॉलिटी का नाम दिया गया। उसके दूषित रूप को अरस्तू ने भीड़तन्त्र (democracy) कहा जिसमें योग्य-अयोग्य का ध्यान रखे बिना अनेक निर्धन शासन का कार्य करते हैं।

अरस्तू के वर्गीकरण की एक विशेषता यह है कि उसके द्वारा वर्णित छः में से कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। उन सबमें परिवर्तन का चक्र (cycle of change) चलता रहता है। राजतन्त्र भ्रष्ट होकर जब उत्पीड़कतन्त्र बन जाता है, तब कुलीन लोगों के संगठित विरोध के समक्ष भ्रष्ट राजा को झुकना पड़ता है। कुलीनतन्त्र स्थापित होता है, परन्तु धीरे-धीरे उसमें भी भ्रष्टाचार, स्वार्थ इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और वह स्वार्थी गुटतन्त्र का रूप ले लेता है। शीघ्र ही जनता का एक प्रमुख भाग सत्ता अपने हाथ में लेकर जनतन्त्र स्थापित करता है, फिर स्वयं वह भी अराजकता का शिकार होकर दूषित भीड़तन्त्र में परिवर्तित हो जाता है। यह स्थिति भी अधिक नहीं चलती, और एक कुशल नेता सत्ता अपने हाथों में लेकर राजतन्त्र की स्थापना करता है। यह चक्र चलता ही रहता है।

अरस्तू की प्रमुख चिंता यह मालूम करना थी कि किन परिस्थितियों में कोई सरकार स्थायी

उसने कहा कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा जिसकी सांविधानिक सरकार ऐसी हो जिसमें सभी नागरिकों को कोई न कोई पद प्राप्त हो सके ताकि वे शासक और शासित दोनों की भूमिका निभा सकें। शायद वह ऐसी व्यवस्था का समर्थक था जिसमे कुलीनतन्त्र और लोकतन्त्र का समन्वय हो, तथा जिसमें मध्यम वर्ग शक्ति सम्पन्न हो। यदि नियन्त्रण मध्यम वर्ग के हाथों में होगा तो वह शासन अधिक स्थायी हो सकेगा। इसीलिए उसने उस शासन का समर्थन किया जिसको उसने 'polity' का नाम दिया।

अरस्तू के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि सभी नागरिकों का एक समान उद्देश्य होता है -- वह है **सुरक्षा**। अतः सुरक्षा के लिए वह कुछ भी बलिदान करने को तैयार रहते हैं। परन्तु, आधुनिक समय में अरस्तू के वर्गीकरण का महत्व लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि वह आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

13.3.2 अरस्तू के वर्गीकरण का विस्तार

सोलहवीं शताब्दी में, **बोदाँ** ने अरस्तू के वर्गीकरण को आगे बढ़ाया। बोदाँ, यद्यपि सर्वश्रेष्ठ संविधान की पहचान करना चाहता था, तथापि उसने **आर्थिक**, **भौगोलिक** एवं **राजनीतिक तत्वों** पर सरकार की निर्भरता पर बल दिया। उसने **कानूनी संप्रभुता** पर भी बल दिया। यह अवधारणा राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धान्त बन गई। एक अन्य फ्रांसीसी विद्धान **माँतेस्क्यू** ने अठारहवीं सदी में वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वर्गीकरण था - **गणराज्य, राजतन्त्र तथा अधिनायकतन्त्र**। उसके वर्गीकरण का आधार भी यही था कि सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में है। माँतेस्क्यू ने सरकार के रूप तथा समाज के रूप के सम्बन्धों को महत्वपूर्ण मान्यता प्रदान की। उसका विचार था कि सरकार के रूप के निर्धारण में शिक्षा, नैतिकता, देशभक्ति तथा आर्थिक समानता का स्तर सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य का क्षेत्रफल भी एक प्रमुख कारक है। कुछ वर्ष

पश्चात् **रूसो** ने भी सरकारों के वर्गीकरण में तीन प्रकार बताएँ - **अधिनायकवाद, कुलीनतन्त्र** तथा **लोकतन्त्र**। परन्तु उसने कहा कि राज्य का एक ही श्रेष्ठ रूप है। वह है, **गणतन्त्र**। **काँट** ने, रूसो की भाँति राज्यों के तो तीन रूप बताए, परन्तु सरकारें केवल गणतन्त्र हो सकती हैं, अथवा अधिनायकतन्त्र। आधुनिक युग में जर्मन लेखक **ब्लंश्ली** (Bluntschli) ने, अरस्तू के वर्गीकरण में सुधार करते हुए **राज्य के एक चौथे रूप** का उल्लेख किया। इसको उसने **धर्मतन्त्र** (Theocracy or Ideocracy) का नाम दिया, जिसमें सर्वोच्च शासक को ईश्वर या उसका प्रारूप माना जाता है। परन्तु, यह सभी वर्गीकरण आधुनिक वास्तविकताओं पर खरे नहीं उतरते।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) जिन आधारों पर अरस्तू ने राज्यों का वर्गीकरण किया उनकी व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) अरस्तू द्वारा वर्गीकृत राज्यों का, उनकी विशेषताओं सहित, वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

13.4 आधुनिक वर्गीकरण

आधुनिक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र-राज्यों के उदय, उदार-संवैधानिक-लोकतान्त्रिक राज्यों के विकास तथा अठारहवीं - उन्नीसवीं शताब्दियों में अमरीकी संघ की स्थापना के साथ राजनीतिक प्रणालियों के पुराने वर्गीकरण की प्रासंगिता निश्चय ही कम हो गई है। नई घटनाओं ने वर्गीकरण के आधार में आमूल परिवर्तन कर दिया है। वर्गीकरण के जिन नए प्रतिमानों का विकास हुआ वे **संविधान की प्रकृति, राज्य के अंदर शक्ति के केन्द्रीकरण** अथवा **विकेन्द्रीकरण, विधायिका के साथ कार्यपालिका के सम्बन्धों, नागरिक स्वतन्त्रताओं की प्रकृति, जनसाधारण की भागीदारी तथा विचारधारा की भूमिका**, सभी से प्रभावित हुए। परन्तु, हमको यह ध्यान में अवश्य रखना होगा कि राज्यों की समस्त शक्तियां एक समान ही होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य संप्रभु होता है; अतः एकमात्र आधार जिस पर राज्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है वह है सरकार के संगठन की संरचनात्मक विशेषताएँ।

राज्य की संप्रभुता तथा उसकी संरचना के संदर्भ में अनेक लेखकों ने समय-समय पर राजनीतिक संगठनों का वर्गीकरण करने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, जर्मन विद्वान **जैलिनेक** ने राजनीतिक प्रणालियों का दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन किया: **राजतन्त्र** तथा **गणतन्त्र**। उसने राजतन्त्र का पुनः विभाजन किया - वंशानुगत अथवा

निर्वाचित जिसमें राजा के पास असीमित शक्ति होती है; तथा गणतन्त्र जिसमें जनता के पास असीमित शक्ति होती है; तथा गणतन्त्र को तीन उप-श्रेणियों में विभाजित किया – अर्थात् लोकतान्त्रिक, कुलीनतान्त्रिक अथवा गुटतान्त्रिक। अंत में, उसने लोकतन्त्र का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में वर्गीकरण किया। इसको निम्नलिखित तालिका प्रदर्शित करती है:

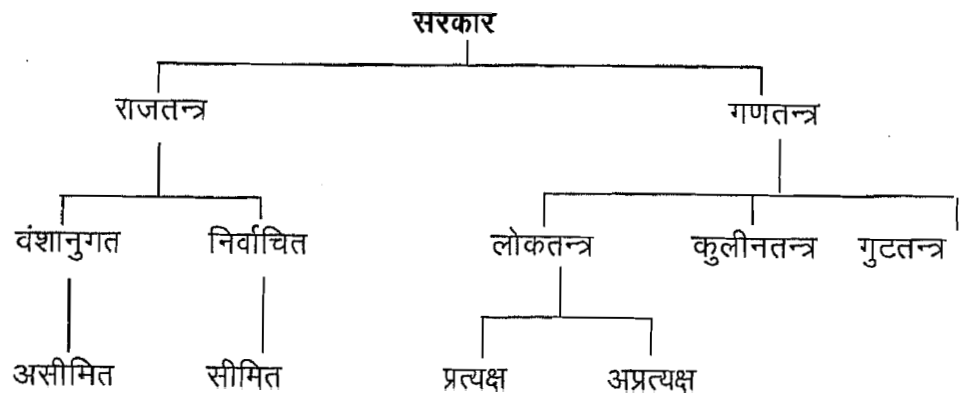

एक अन्य विद्वान **बर्गेस** ने **चार विविध सिद्धान्तों** के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तथा सरकारों के अनेक रूपों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया। उसके चार सिद्धान्त, तथा सरकारों के रूप इस प्रकार हैं:

- राज्य और सरकार के साथ समरूपता या उसका अभाव - प्राथमिक तथा प्रतिनिधि।
- कार्यपालिका का कार्यकाल - वंशानुगत या निर्वाचित
- कार्यपालिका - विधायिका संबंध - संसदीय या अध्यक्षात्मक
- शक्ति का केन्द्रीकरण अथवा विभाजन - एकात्मक या संघात्मक

लीकॉक ने सरल रूप से सरकारों का जो वर्गीकरण किया उसको निम्नलिखित तालिका की सहायता से समझा जा सकता है।

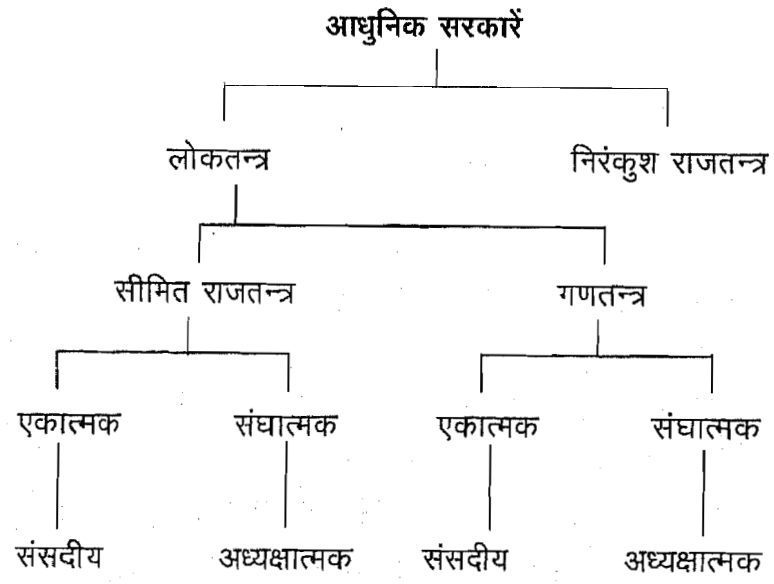

बीसवीं शताब्दी के एक अन्य विद्वान **एफ. सी. स्ट्रॉंग** ने अपना अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसने पाँच श्रेणियाँ बताई जिनमें विभिन्न सरकारों को रखा जा सकता है। स्ट्रॉंग का प्रतिमान इस प्रकार हैः

	वर्गीकरण का आधार	प्रथम प्रकार	द्वितीय प्रकार
1.	उस राज्य की प्रकृति जिसमें संविधान लागू होता है।	एकात्मक	संघात्मक
2.	स्वयं संविधान की प्रकृति	सुपरिवर्तनशील (आवश्यक नहीं कि लिखित ही हो)	कठोर (आवश्यक नहीं कि पूरी तरह लिखित हो)
3.	विधायिका की प्रकृति	(i) वयस्क मताधिकार (ii) एक-सदनीय निर्वाचन क्षेत्र (iii) ग़ैर-निर्वाचित द्वितीय सदन (iv) प्रत्यक्ष लोकप्रिय नियन्त्रण	(i) सीमित वयस्क मताधिकार (ii) बहु-सदनीय निर्वाचन क्षेत्र (iii) पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन (iv) नियन्त्रणों का अभाव
4.	कार्यपालिका की प्रकृति	संसदीय (संसदात्मक)	अध्यक्षात्मक
5.	न्यायपालिका की प्रकृति	विधि के शासन के अधीन (कॉमन लॉ वाले देशों में)	प्रशासकीय क़ानून के अधीन (विशेषाधिकारों वाले देश)

ऊपर वर्गीकरण के जिन प्रतिमानों का उल्लेख किया गया है उनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। **प्रथम**, विभिन्न प्रतिमानों के बावजूद, वर्गीकरण के विषय में कोई एक सर्वसम्मत एवं वैज्ञानिक आधार नहीं है। **द्वितीय**, सभी प्रतिमानों का आधार राज्य, सरकार तथा उसके अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, संविधान, कानून तथा राजनीतिक संगठन हैं। राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सामाजिक - आर्थिक, ऐतिहासिक, एवं सांस्कृतिक तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया गया। **तृतीय**, तथा सबसे महत्वपूर्ण यह कि इन सभी वर्गीकरणों को यूरोप और अमेरिका में विकसित राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित रखा गया। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं की पूरी तरह अवहेलना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब उपनिवेशवाद उन्मूलन के फलस्वरूप यह देश स्वाधीन हुए तभी उन पर भी ध्यान दिया गया। अतः, नए प्रतिमानों की आवश्यकता अनुभव की गई।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लीकॉक के वर्गीकरण में दिए गए सरकारों के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) सरकारों के आधुनिक वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

13.5 समकालीन वर्गीकरण

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आधुनिक वर्गीकरण यूरोप एवं अमेरिका में विकसित उदार लोकतान्त्रिक सरकारों पर आधारित है। यह विकास उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, दो स्तरों पर नई राजनीतिक प्रणालियों का उदय हुआ। वे थीं:

1) वे अनेक उत्तर-औपनिवेशिक राज्य जिन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, और जहाँ उदार लोकतान्त्रिक संस्थाओं का उदय नहीं हुआ था, जो आर्थिक रूप से विकसित नहीं (या अल्प विकसित) थे, तथा जिनकी संस्कृति, सामाजिक संस्थाएँ तथा राजनीतिक संरचनाएँ भिन्न भिन्न थीं।

2) समाजवादी/साम्यवादी राज्यों का एक गुट के रूप में उदय हुआ, जिसका उद्देश्य (पाश्चात्य उदार पूँजीवादी व्यवस्था के विपरीत) समाजवादी समाज की स्थापना करना था, तथा जिन देशों में लोकतन्त्र, संसद, दल-व्यवस्था, संघीय व्यवस्था तथा राजनीतिक शक्ति की अवधारणाएँ बिल्कुल अलग थीं।

इन कारणों से राजनीति शास्त्रियों ने सरकारों के वर्गीकरण के नए प्रतिमानों का विकास किया ताकि उनमें युद्धोत्तर राजनीतिक प्रणालियों को शामिल किया जा सके। इस दिशा में कुछ अमरीकी विद्वानों ने पहल की, और नई परिस्थतियों के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण करने के प्रयास किए। उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को विकास एवं आधुनिकीकरण से जोड़ने की चेष्टा की। फलस्वरूप उन्होंने वर्गीकरण के नए आधार बनाए जैसे कि, औद्योगिकरण का स्तर, शहरीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास, शिक्षा का स्तर, वाणिज्य, संस्कृति, तथा सामाजिक उपलब्धियाँ और संचार व्यवस्था। युद्धोत्तर चार दशकों में अनेक विद्धानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इनमें प्रमुख थे: **ऐड्वर्ड शिल्स, कॉट्स्की, डेविड ऐप्टर**, **आल्मंड** तथा **पॉवेल**, **रॉबर्ट डल, डेविड ईस्टन**, **जीन ब्लांडल**, **ऐलेन बॉल** इत्यादि। इनमें से कुछ के विचारों की समीक्षा यहाँ की जा सकती है।

ऐड्वर्ड शिल्स ने अपनी पुस्तक *Political Development in New States* में आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों का **पाँच-सूत्री** वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि वे हैं:

i) ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति **राजनीतिक लोकतन्त्र**;

ii) **नाममात्र के लोकतन्त्र** - वे देश जिनमें लोकतन्त्र है तो नहीं, परन्तु वे राजनीतिक लोकतन्त्र की नकल करने की कोशिश करते हैं;

iii) **आधुनिकीकृत गुटतन्त्र** - जिन देशों में सत्ता भले ही कुछ असैनिक नेताओं के हाथों में हो, परन्तु वे सशस्त्र सेनाओं की सहायता से शासन करते हैं, या फिर इसके विपरीत भी हो सकता है;

iv) **अधिनायकवादी गुट व्यवस्था** - या तो साम्यवादी या फिर फ़ासीवादी प्रकार की।

v) **परम्परागत (पारम्परिक) गुटतन्त्र** - जिन देशों पर वंशानुगत शासकों के हाथों में सत्ता है, और जो पारम्परिक धार्मिक विश्वासों पर चलते हों।

डेविड ऐप्टर ने विकासशील समाजों पर बल दिया। उसने उन देशों की सरकारों के रूप तथा नैतिक मूल्यों की समीक्षा की थी। इस संदर्भ में उसने तीन प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का उल्लेख किया:

i) आधुनिकीकृत निरंकुशतन्त्र
ii) सैनिक शासन
iii) दोनों का मिला जुला रूप।

अपने वर्गीकरण के लिए **एस. ई. फाईनर** ने कुछ नए आधार बनाए। उसके अनुसार, प्रत्येक व्यवस्था का सार यह है कि थोड़े लोग अधिकांश जनता पर शासन करते हैं। जो नीतियाँ निर्धारित करने वाले और उनको लागू करने वाले होते हैं, उनकी संख्या सदा कम होती है। इस संदर्भ में उसने तीन प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया:

i) उदार लोकतान्त्रिक देश - जैसे कि यूरोप तथा अमेरिका के उदार पूँजीवादी देश;
ii) अधिनायकवादी देश - जैसे कि साम्यवादी राज्य;
iii) निरंकुश शासन तथा गुटतन्त्र - ऐसी राजनीतिक प्रणालियाँ जिनमें सेना की राजनीतिक भूमिका प्रमुख होती है। यह व्यवस्थाएँ न तो लोकतान्त्रिक हैं, और न तानाशाही। यह एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के उन देशों में व्यापक रूप से विद्यमान हैं जहाँ सेना की भूमिका निर्णायक होती है।

जीन ब्लॉंडल ने राजनीतिक प्रणालियों के अपने वर्गीकरण के तीन आधार स्वीकार किए:

i) राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति
ii) सामाजिक दर्शन एवं नीतियाँ
iii) राजनीतिक विचारधारा तथा उप-व्यवस्थाओं की स्वायत्तता।

इस आधार पर उसने, प्रत्येक श्रेणी में, दो-दो प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का उल्लेख किया। वे हैं: (क) राजतन्त्र तथा लोकतन्त्र, (ख) पारम्परिक तथा आधुनिक (ग) उदार तथा सर्वाधिकारवादी (totalitarian)।

आल्मँड एवं पॉवेल ने भी संरचनात्मक विभेदों तथा कार्यों; तथा सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता के आधारों पर त्रिकोण वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वे हैं: (क) आदिमकालीन, (ख) पारम्परिक तथा (ग) आधुनिक। क़बायली शासन पर आधारित आदिमकालीन शासन तीन प्रकार का हो सकता था; आदिमकालीन गिरोह; खंडित व्यवस्था या फिर पदसोपानीय व्यवस्था। पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पैतृक व्यवस्था, केन्द्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था तथा सामंती राजनीतिक व्यवस्था। यह संभी व्यवस्थाएँ मूल रूप से कृषि पर, धार्मिक पुजारियों और सांमतों के प्रभाव में और औद्योगीकरण के अभाव में स्थापित थीं। परन्तु, आधुनिक परिष्कृत व्यवस्थाएँ वे हैं जो कि संरचनात्मकता

तथा सांस्कृतिक धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं। वे लोकतान्त्रिक भी हो सकती हैं, या अधिनायकवादी (निरंकुश) भी। हम निम्नलिखित तालिका की सहायता से इस वर्गीकरण को समझ सकते हैं।

आल्मँड एवं पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति के आधार पर भी राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण किया। लोगों की निष्ठा, उदासीनता अथवा अलग-थलग रहने की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक संस्कृति तीन प्रकार की हो सकती है: संकीर्ण (parochial), आत्मनिष्ठ (subjective), अथवा भागीदारी। इन आधारों पर, उन्होंने राजनीतिक प्रणालियों को चार वर्गों में विभाजित किया:

क) आँग्ल-अमरीकी,

ख) यूरोपीय महाद्वीपीय,

ग) ग़ैर-पाश्चात्य, तथा

घ) सर्वाधिकारवादी (totalitarian)।

बोध प्रश्न 3

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राजनीतिक प्रणालियों के समकालीन वर्गीकरण के लिए किन दो तत्वों ने भूमिका निभाई?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) एस. ई. फ़ाईनर तथा जीन ब्लाँडल द्वारा प्रस्तुत सरकारों के वर्गीकरण और उसके आधारों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.6 शक्ति विभाजन के आधार पर वर्गीकरण

आधुनिक समय में सरकारों के वर्गीकरण का एक आधार शक्ति का भौगोलिक विभाजन भी है। अर्थात्, सरकार की शक्तियाँ केन्द्र तथा अन्य प्रशासकीय इकाइयों में किस प्रकार विभाजित होती है। इस आधार पर सरकारें या तो एकात्मक अथवा संघात्मक होती है।

13.6.1 एकात्मक सरकार

वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें समस्त शक्ति एक सरकार में केन्द्रित होती है उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। यह भौगोलिक रूप से शक्ति के केन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। सर्वोच्च शक्ति एक केन्द्र सरकार के अंगों द्वारा प्रयोग की जाती है। फ़ाईनर के अनुसार, एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्ति तथा सत्ता एक केन्द्र में निहित होती है, और उसके प्रतिनिधि सम्पूर्ण प्रदेश पर अबाध शक्ति का प्रयोग करते हैं।

इसी प्रकार, **ब्लॉंडेल** के अनुसार, "किसी एकात्मक राज्य में केवल एक केन्द्रीय संस्था वैधानिक रूप से स्वतन्त्र होती है, तथा अन्य सभी निकाय केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं।" एकात्मक सरकार का सार यह है कि संप्रभुता अविभाजित होती है। संविधान किसी अन्य विधायी संस्था को स्वीकार नहीं करता। एकमात्र विधायिका सभी विषयों पर क़ानून बना सकती है, तथा कार्यपालिका बिना किसी रुकावट के उनको लागू कर सकती है। परन्तु, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि सरकार मनमाने निर्णय ले सकती है। एकात्मक देश में भी समस्त क्षेत्र को, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, दो या अनेक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है जो कि स्वायत्त नहीं होते। इन प्रान्तों के पास केवल वहीं अधिकार होते हैं जो केन्द्र उन्हें प्रदान करता है, तथा जब चाहे वापस भी छीन सकता है। इस प्रकार, एकात्मक सरकार की दो विशेषताएँ होती हैं: **केन्द्रीय संसद की सर्वोच्चता**, तथा **अधीन संप्रभु निकायों का अभाव**।

13.6.2 संघात्मक सरकार

संघात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें **केन्द्र** तथा **प्रान्तीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन** होता है, तथा दोनों के अपने-अपने निश्चित कार्यक्षेत्र होते हैं। समस्त शक्तियों का विभाजन देश के **संविधान** के द्वारा किया जाता है।

संघात्मक सरकार एक समझौते पर आधारित मानी जाती है; तथा इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। वे हैं:

i) एक लिखित संविधान;
ii) शक्तियों का विभाजन; तथा
iii) स्वतंत्र न्यायपालिका।

प्रथम, संघीय सरकार एक समझौते का परिणाम होती है जो कि एक लिखित संविधान के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसमें संघ और प्रान्तीय सरकारों की शक्तियों और उनके अधिकारों का उल्लेख होता है। यह अपेक्षा होती है कि यह **संविधान लिखित एवं कठोर** होगा ताकि कोई भी (केन्द्र या प्रान्तीय) सरकार स्वेच्छा से शक्तियों में परिवर्तन न कर सके। **संविधान संप्रभु** होता है, क्योंकि सभी सरकारें इसके अधीन होती हैं।

द्वितीय, संघीय व्यवस्था की एक आवश्यक अपेक्षा होती है केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय या राज्य सरकारों के मध्य **शक्तियों का विभाजन**। सामान्यतया, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे

कि रक्षा, विदेश विभाग, रेलवे, संचार इत्यादि केन्द्र को सौंपे जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, क़ानून व्यवस्था जैसे विषयों पर इकाइयों (राज्यों/प्रान्तों) का नियंत्रण होता है। किसी देश में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, संविधान केन्द्र की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा शेष सभी राज्यों के क्षेत्राधिकार में छोड़ दी जाती हैं। परन्तु, भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की ही शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है।

तृतीय, एक ऐसा **स्वतन्त्र** और **निष्पक्ष न्यायालय** भी होना चाहिए जो किसी भी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद में केन्द्र और राज्यों के मध्य न्याय कर सके। ऐसा न्यायालय **सर्वोच्च न्यायालय** ही हो सकता है जो कि संविधान की रक्षा करता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त केन्द्र और राज्यों की शक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। संघीय व्यवस्था में यह न्यायालय केन्द्र-राज्य विवादों को निपटाने वाला उच्चतम न्यायालय होता है।

बोध प्रश्न 4

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) एकात्मक राज्य की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं:

क) .....

.....

ख) .....

.....

2) संघात्मक सरकार की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

क) .....

ख) .....

ग) .....

13.7 विधायी-कार्यपालिका सम्बन्धों के आधार पर वर्गीकरण

राजनीतिक प्रणालियों का सरकारों के विधायी और कार्यपालिका अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इस संदर्भ में, दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं। एक वह जिसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं, तथा अपने सभी कार्यों के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है; दूसरी वह प्रणाली जिसमें सरकार के दोनों अंग अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में पृथक शक्तियों के आधार पर कार्य करते हैं। प्रथम प्रणाली को **संसदीय** तथा दूसरी को **अध्यक्षात्मक** सरकार कहते हैं।

13.7.1 संसदीय सरकार

संसदीय (अथवा संसदात्मक) सरकार ग्रेट ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास के विकास का परिणाम है। इसको 'मन्त्रिमण्डलीय सरकार' भी कहते हैं। अब तो इसे 'प्रधानमन्त्रित्त्व सरकार' तक कहने लग गए हैं। इस सरकार की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें **वास्तविक**

कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद) **विधायिका** का अंग होती है, तथा अपनी नीतियों के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी भी होती है।

संसदीय सरकार में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं -- **नाममात्र** की, तथा **वास्तविक कार्यपालिका**। राज्य का अध्यक्ष मात्र **औपचारिक प्रधान** होता है जिसके कार्यों का सम्पादन व्यवहार में **मन्त्रिगण** करते हैं। राज्याध्यक्ष का प्रभाव सीमित होता है। वह **ब्रिटेन** की तरह **राजा** (रानी) हो सकता है, अथवा भारत की भांति **राष्ट्रपति**। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष **प्रधानमन्त्री** होता है जो मन्त्रियों का चयन करता है, तथा मन्त्रिपरिषद् का प्रधान होने के नाते उसका मार्गदर्शन करता है। प्रधानमन्त्री सहित सभी मन्त्री विधायिका में से लिए जाते हैं, वह उसके सदस्य होते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तथा विधायिका का लोकप्रिय सदन उन्हें 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करके उन्हें अपदस्थ कर सकता है। नाममात्र के राज्याध्यक्ष के नाम पर, समस्त प्रशासकीय कार्य प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रिगण करते हैं।

13.7.2 अध्यक्षात्मक सरकार

अध्यक्षात्मक सरकार **शक्ति-पृथक्करण** के सिद्धान्त पर आधारित है। इसका अर्थ हुआ कि **विधायिका** तथा **कार्यपालिका** एक दूसरे से पृथक होते हैं। **गार्नर** के अनुसार, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें **कार्यपालिका** (राज्याध्यक्ष और मन्त्रिगण), अपने कार्यकाल के लिए, विधायिका से स्वतन्त्र होती हैं, तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वास्तविक कार्यपालिका होने के साथ-साथ सरकार का प्रधान भी होता है। जनता द्वारा वह एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है । विधायिका का अंग न होने के कारण कार्यपालिका को वह, महाभियोग की वैधानिक प्रक्रिया के अतिरिक्त, किसी भी प्रकार से समय से पूर्व अपदस्थ नहीं कर सकती है। उधर, कार्यपालिका भी न तो विधायिका को भंग कर सकती है और न समय से पूर्व चुनाव ही करवा सकती है। सरकार के दोनों अंग निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं।

परन्तु, सरकार के **तीनों अंगों** को किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से सम्बद्ध रखने के लिए **रुकावट और संतुलन** की पद्धति अपनाई जाती है। इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रपति कहीं तानाशाह न बन जाए। संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को अपनी-अपनी सीमाओं में रहने के लिए कुछ बंधन लगा सकते हैं, ताकि अंततः तीनों के मध्य संतुलन बना रहे। इस प्रणाली का विकास **सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका** में हुआ, तथा बाद में लैटिन अमेरिका के कुछ अन्य देशों ने भी इसका अनुकरण किया।

बोध प्रश्न 5

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका द्वारा सीमा उल्लंघन पर विधायिका किस प्रकार अंकुश लगाती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार संसदीय सरकार से भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

.....

13.8 सारांश

राजनीतिक पद्धतियों का वर्गीकरण उतना ही प्राचीन है जितना कि राजनीति का अध्ययन। वर्गीकरण करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, तथा अवधारणाओं को परिभाषित करने की चेष्टा की गई। **ग्रीक युग** में वर्गीकरण का आधार अत्यंत सीमित था। इसका प्रमुख उद्देश्य **शासकों की संख्या** तथा **शासन की गुणवत्ता** होता था। **मध्यकाल** में **बोदाँ, मॉतेस्क्यू, रूसो, कांत (कांट)** इत्यादि ने भी इस दिशा में प्रयास किए, तथा **अरस्तू** के वर्गीकरण को सुधारने के प्रयत्न भी किए, जिसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली।

आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के उदय के साथ नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों ने राजतन्त्र को आघात पहुँचाया, तथा **गणतन्त्र** का जन्म हुआ। उस समय सरकार के तीन अंगों, **विधायिका, कार्यपालिका** एवं **न्यायपालिका** के कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया गया। अमेरिका के संविधान ने **संघवाद** और **शक्ति पृथक्करण** की अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया, तथा **अध्यक्षात्मक सरकार** की स्थापना की। **जैलिनेक, बर्गेस, मैरिएट, लीकॉक** तथा **एफ़. सी. स्ट्रॉंग** इत्यादि ने आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए। इसमें सीमित राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों की व्याख्या शामिल थी। परन्तु, इस प्रकार के वर्गीकरण यूरोप एवं अमेरिका में विकसित राज्यों और सरकारों की संस्थाओं के आधार पर किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अनेक देश औपनिवेशिक दासता से स्वतन्त्र हुए। उनकी राजनीतिक संरचनाएँ भिन्न-भिन्न थी। अनेक साम्यवादी/समाजवादी राज्य भी स्थापित हुए। लोकतन्त्र, राजनीतिक दलों, संसद इत्यादि की उनकी अवधारणाएँ अलग ही थीं। अतः पारम्परिक व्यवस्थाओं से लेकर आधुनिक उदार तथा सर्वाधिकारवादी राज्यों तक को नए वर्गीकरणों में स्थान दिया गया। आज विश्व में अनेक प्रकार की सरकारें हैं, परन्तु किसी एक सर्वमान्य वर्गीकरण पर पहुँच पाना संभव नहीं है।

13.9 शब्दावली

राजतन्त्र : ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक राजमुकुटधारी व्यक्ति के हाथों में सर्वोच्च तथा अंतिम सत्ता होती है। यह व्यक्ति वंशानुगत भी

हो सकता है, या फिर निर्वाचित। शासन की सभी प्रक्रियाएँ इसी एक व्यक्ति की इच्छा ही मानी जाती है।

कुलीनतन्त्र : यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता श्रेष्ठ (कुलीन) नागरिकों के हाथों में होती है। इस प्रणाली में जनता का एक छोटा सा भाग नीतियाँ निर्धारित करता है। यह वर्ग या तो धार्मिक पुजारियों का हो सकता है, या फिर सैनिकों का, भूमि के स्वामियों का या फिर कुछ धनवान व्यक्तियों का। शक्ति का प्रयोग एक कुलीनवर्ग ही करता है।

लोकतन्त्र : थोड़े शब्दों में लोकतन्त्र की परिभाषा कर पाना कठिन कार्य है। इस प्रणाली में सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। इसमें जनसाधारण की उच्च कोटि की भागीदारी होती है। इसमें जनता को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तथा नागरिकों के मध्य राजनीतिक सत्ता के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता होती है।

अधिनायकवादी : यह प्रणाली लोकतन्त्र-विरोधी है। यहाँ शक्ति एक तानाशाह, अथवा सैन्यगुट अथवा निरंकुश राजा के हाथों में निहित होती है। शासक न तो किसी संविधान से बाध्य होता है, और न वह किसी भी प्रकार से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

सर्वाधिकारवाद : इसका आधार सर्वाधिकारवादी विचारधारा में होता है। यह एक-दलीय राज्य होता है, जिसमें गोपनीय पुलिस बल होता है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सूचना व्यवस्था सभी पर सरकार का एकाधिकार होता है। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता।

13.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Ball, A.R., and Peters B. Guy 2000, *Modern Politics and Government*, Macmillan, London.

Blondel, Jean, 1970, *Comparative Government* : *A Reader*, Macmillan, London.

Gabriel and Powell, 1964, *Comparative Politics: A Development Approach*, Vakils, Jeffers and Simons.

Gena, C.B., 1978, *Comparative Politics and Political*, Vikas Publishing House, New Delhi.

Robert Dahl, 1964, Modern *Political Analysis*, Englewood Cliffs, New Jersery.

13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) अरस्तू के वर्गीकरण के दो आधार थेः **शासकों की संख्या** - एक, कुछ, अनेक; तथा उनकी **गुणवत्ता** (कुशलता) - सामान्य निस्वार्थी शासन, अथवा दूषित और स्वार्थी शासन।

2) छः प्रकार की शासन पद्धतियाँः संख्या के आधार पर सामान्य शासन - **राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र** तथा **लोकतन्त्र** (Polity); और गुण या कौशल के आधार पर दूषित व्यवस्थाएँ - **उत्पीड़कतन्त्र, गुटतन्त्र** (Obigarchy) तथा **भीड़तन्त्र** (Democracy)।

बोध प्रश्न 2

1) **लीकॉक का वर्गीकरण** - **लोकतान्त्रिक** अथवा **निरंकुश राजतन्त्र**। लोकतन्त्र दो प्रकार का - **सीमित राजतन्त्र** अथवा **गणतन्त्र**। इन दोनों प्रकार की सरकारों का **शक्ति के केन्द्रीकरण** अथवा विभाजन के आधार पर; **एकात्मक** अथवा **संघात्मक**; तथा **विधायिका - कार्यपालिका** सम्बन्धों के आधार पर; **संसदीय** अथवा **अध्यक्षात्मक**। उदाहरणः भारत एक गणतन्त्र है, संसदीय लोकतन्त्र तथा संघ राज्य है, जबकि ब्रिटेन में सीमित राजतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र तथा एकात्मक व्यवस्था है।

2) **आधुनिक वर्गीकरण के आधार :** संविधान की प्रकृति, शक्तियों का देश के भीतर केन्द्रीकरण, अथवा विभाजन, कार्यपालिका - विधायिका सम्बन्ध, नागरिक स्वतन्त्रताओं की प्रकृति और जनता की भागीदारी का स्तर। सभी आधुनिक वर्गीकरण राज्यों और सरकारों तथा उनके अंगों पर आधारित।

बोध प्रश्न 3

1) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उत्तर-औपनिवेशिक व्यवस्था के नवोदित राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रकृति भिन्न-भिन्न थीं। उनके लोकतन्त्र की, संसद की, संघीय व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों की अवधारणाएँ भी भिन्न थीं। अतः उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के लिए वर्गीकरण के नए प्रतिमान अपनाए गए।

2) **फ़ाईनर** के अनुसार अधिकांश जनता पर थोड़े लोगों का शासन होता है। अतः राजनीतिक प्रणालियाँ हैंः यूरोप तथा अमेरिका के उदार लोकतन्त्र; पूर्व सोवियत संघ, क्यूबा एवं चीन में **सर्वाधिकारवादी व्यवस्था**; तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में गुटतन्त्र अथवा मनमाने शासन जैसे कि सैनिक शासन इत्यादि।

ब्लॉडेल के अनुसार आधारः (i) राजनीतिक पद्धति की प्रकृति; (ii) सामाजिक दर्शन तथा नीतियाँ; (iii) राजनीतिक विचारधारा तथा उप-व्यवस्था की स्वायत्तता। अतः,

(i) सरकार या तो राजतन्त्र होगी या लोकतन्त्र; **(ii)** पारम्परिक अथवा आधुनिक; (iii) उदार अथवा सर्वाधिकारवादी।

बोध प्रश्न 4

1) केन्द्रीय संसद की सर्वोच्चता, तथा अधीनस्थ संप्रभु संस्थाओं का अभाव।

2) एक लिखित संविधान, केन्द्र तथा इकाइयों (राज्यों/प्रान्तों) के मध्य शक्तियों का विभाजन; तथा केन्द्र राज्य विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

बोध प्रश्न 5

1) वास्तविक कार्यपालिका अपनी नीतियों और अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी। विधायिका, मन्त्रिपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अपदस्थ कर सकती है; तथा कार्यपालिका। विधायिका (लोकप्रिय सदन) को भंग करके नए चुनाव करवा सकती है।

2) अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य और सरकार का अध्यक्ष संवैधानिक रूप से विधायिका से कार्यकाल के संदर्भ में स्वतन्त्र होता है। वह अपनी नीतियों के लिए भी विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कार्यपालिका अध्यक्ष को महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं क्योंकि वह विधायिका का भाग नहीं होता। कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होते हैं। यह प्रणाली **शक्ति-पृथक्करण** पर आधारित है।